न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

बाबूलाल पुत्र रामरतन चौरसिया
निवासी पुख्याऊटौरी वार्ड सागर
तह. व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. हरवंश लाल चौरसिया निवासी एल.आई. 7 जनता कॉलोनी राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ)
2. अनिल कुमार पुत्र स्व. हरवंशलाल चौरसिया निवासी 40 विवेकानंद नगर रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ)
3. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. दीनदयाल विश्वकर्मा निवासी काका गंज वार्ड सागर तह. व जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 73/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अधीनस्थ प्रथम अपीली न्यायालय में समक्ष यह स्पष्ट था कि अनावेदक 1 व 2 ने संशोधन पंजी वर्ष 1990 की प्रविष्टि कमांक 103 पर पारित दिनांक 25.4.90 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 22 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जिसमें अनावेदक कं. 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4004-दो/2015 जिला सागर बाबूलाल विरूद्ध नरेन्द्रकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 73/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31.01.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 31.01.19 सदस्य	